उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग, लखनऊ।

आवश्यकता

विज्ञापन सं0– 585/रा0वि0आ0/2019 उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग, लखनऊ में निम्नलिखित विवरण के अनुसार रिक्त पदों (रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है) को उनके सम्मुख अंकित नियत वेतन पर दिनांक 29 फरवरी, 2020 तक या उससे पूर्व उक्त पद समाप्त न कर दिये जाये, जो भी पहले हो, के लिए संविदा के आधार पर पूर्णतया अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने के संबंध में भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	नियत वेतन पर शासन द्वारा अनुमन्य मँहगाई भत्ता	शैक्षिक अर्हता
1.	वाहन चालक	03	7730.00	कक्षा–10 उत्तीर्ण एवं हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स जो रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से लगभग 3 वर्ष का अनुभव रखता हो।
2.	चपरासी	05	6050.00	कक्षा–08 उत्तीर्ण। जिसके पास मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स हो, साफ–सफाई, कुकिंग, साइकिल चलाने, माली, बुक बाइन्डिंग एवं इलेक्ट्रिक कार्य आदि का ज्ञान हो, को वरीयता दी जायेगी।

आयु सीमा– सभी पदों हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी)।

सचिव
उ0प्र0 राज्य विधि आयोग,
लखनऊ

आवेदन–पत्र में नाम, पिता/पति का नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नं0, जन्म तिथि, शैक्षिक अर्हता, जाति, अनुभव व विशेष योग्यता अंकित करते हुए हिन्दी भाषा में आवश्यक विवरण, आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक योग्यता आदि की स्वप्रमाणित प्रतियों तथा वक्ष तक नवीनतम 02 फोटो सहित जो स्वप्रमाणित हो विलम्बतम् दिनांक 08.11.2019 तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं कार्यालय अवधि में सचिव, उ0प्र0 राज्य विधि आयोग, प्रशासनिक भवन, बी– ब्लॉक, इको गार्डेन, (पुरानी जेल) लखनऊ को प्रेषित किये जाने चाहिए। अधूरे एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इससे संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में उ0प्र0 राज्य विधि आयोग के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं

नोटः– आयोग के कार्यालय के बाहर व मुख्य गेट पर एवं सचिव कार्यालय व इको गार्डेन के नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर दी गयी है।